

अध्याय 1

परिचय

दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की स्थापना दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जल आपूर्ति, सीवरेज और सीवेज निपटान और जल निकासी के कार्यों का निर्वहन करने और उससे जुड़े मामलों के लिए की गई थी। डीजेबी मुख्य रूप से पेय जल के उत्पादन और वितरण के साथ-साथ घरेलू सीवेज के संग्रहण, शोधन और निपटान के लिए ज़िम्मेदार है।


1.1 दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के कार्य

दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 की धारा 9 के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, डीजेबी के लिए निम्नलिखित कार्य निर्धारित किए गए हैं:

- (i) दिल्ली के उन भागों में जहाँ मकान हैं, घरेलू उपभोग या अन्य प्रयोजनों के लिए पाइपों या अन्य माध्यमों से जल का शोधन, आपूर्ति और वितरण करना;
- (ii) दिल्ली के किसी भी भाग से सीवेज एकत्रित करना, उसका शोधन और निपटान करना तथा सीवरेज, सीवेज शोधन और सीवेज निपटान से संबंधित कार्य करना, जिसमें उससे संबंधित कार्यों की योजना, डिज़ाइन, निर्माण, संचालन और अनुरक्षण शामिल हैं; और
- (iii) केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के परामर्श से दिल्ली में भूजल के उपयोग की योजना बनाना, उसका विनियमन और प्रबंधन करना तथा केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली छावनी बोर्ड या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण को इस संबंध में सलाह देना।

जल शोधन, उपभोक्ताओं को उसकी आपूर्ति, सीवेज का संग्रहण, परिवहन और शोधन तथा अपशिष्ट जल के निपटान से जुड़े विभिन्न चरणों को चित्र-1 में दर्शाया गया है। चार्ट में दिए गए आंकड़े वर्ष 2021-22 से संबंधित हैं।

चित्र 1.1: जल शोधन, उसका उपयोग और सीवेज की प्रक्रियाएं




1.1.1 दिल्ली में जल आपूर्ति

केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ) के मानदंडों (मई, 1999) के अनुसार, दिल्ली को 1,260 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रति दिन)¹ जल की आवश्यकता है, जिसके प्रति डीजेबी दिल्ली के 93 प्रतिशत घरों को केवल 935 एमजीडी शोधित/पेय जल की आपूर्ति करता है। डीजेबी अपना कच्चा जल यमुना नदी, भाखड़ा-ब्यास भंडारण (610 एमजीडी), ऊपरी गंगा नहर (253 एमजीडी) और भूजल रैन्नी कुओं और नल कूपों (90 एमजीडी) से प्राप्त करता है। दिल्ली के लिए कच्चे जल के प्रमुख स्रोत चार्ट 1.1 में दर्शाए गए हैं।

¹ डीजेबी की परिप्रेक्ष्य अवसंरचना योजना, 2041 के अनुसार 21 मिलियन जनसंख्या के लिए @60 जीपीसीडी।

चार्ट 1.1 : कच्चे जल के प्रमुख स्रोत



वर्ष 2021-22 के दौरान, डीजेबी के नौ जल शोधन संयंत्रों (डब्ल्यूटीपी) ने 818 एमजीडी की स्थापित क्षमता के प्रति 845 एमजीडी शोधित जल का उत्पादन किया। शेष 90 एमजीडी भूजल को बिना शोधित किए आपूर्ति की गई। डब्ल्यूटीपी का विवरण चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है।

दिल्ली में लगभग 15,383 कि.मी. लंबा जल आपूर्ति नेटवर्क है और इस नेटवर्क के माध्यम से 26.59 लाख सक्रिय उपभोक्ताओं को जल की आपूर्ति की जाती है। जिन क्षेत्रों में अभी तक पाइप लाइन नहीं है या जहाँ पाइप लाइन से जल की आपूर्ति कम है, वहाँ से जल की मांग को पूरा करने के लिए 2021-22 में औसतन प्रतिदिन 1,243 टैंकों का उपयोग किया गया।

1.1.2 सीवरेज प्रबंधन प्रणाली

दिल्ली जल बोर्ड के पास लगभग 9,200 कि.मी. का शाखा, परिधीय और ट्रंक सीवर नेटवर्क है, जिसमें अनुमानित सीवेज उत्पादन (2021-22) 594 एमजीडी² (पाइप से आपूर्तित जल के आधार पर) है। इसके प्रति, डीजेबी के पास अपने

² दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, कुल अनुमानित सीवेज उत्पादन 594.25 एमजीडी था, जो पाइपलाइनों के माध्यम से आपूर्तित जल (742.81 एमजीडी) का 80 प्रतिशत था।

35 कार्यात्मक सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) में 697 एमजीडी को शोधित करने की स्थापित क्षमता थी, तथापि स्थापित क्षमता का केवल 545 एमजीडी (78 प्रतिशत) ही उपयोग किया जा रहा था और उत्पादित शेष अनुमानित सीवेज (आठ प्रतिशत) बिना शोधित किए यमुना नदी में प्रवाहित हो रहा था।

1.2 संगठनात्मक ढांचा

दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष रा.रा.क्षे.दि. सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के मुख्यमंत्री हैं, जिनकी सहायता के लिए एक उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष के अधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), गैर-सरकारी सदस्य और पूर्व-सरकारी सदस्य होते हैं। सीईओ को चार सदस्यों अर्थात् सदस्य (प्रशासन), सदस्य (वित्त), सदस्य (जल आपूर्ति), सदस्य (जल निकासी) और एक मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा सचिव, डीजेबी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। डीजेबी का संगठनात्मक चार्ट **अनुलग्नक 1.1** में दिया गया है।

राजस्व प्रबंधन के लिए डीजेबी को 41 क्षेत्रीय कार्यालयों में विभाजित किया गया है तथा जल आपूर्ति और जल निकासी संबंधी कार्य विभिन्न प्रभागों द्वारा निष्पादित किए जाते हैं।

अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, डीजेबी के पास 24,093 कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या थी, जिसके प्रति 31 मार्च 2022 तक 16,354 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत थे।

1.3 डीजेबी की वित्तीय स्थिति

वर्ष 2021-22 के लिए डीजेबी की कुल प्राप्तियां और राजस्व ₹ 4,772.20 करोड़ था। वित्त वर्ष 2017-18 और 2021-22 के लिए डीजेबी के व्यय और राजस्व की तुलनात्मक स्थिति **तालिका 1.1** में दी गई है।

तालिका 1.1: व्यय और राजस्व की तुलनात्मक स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	घटक	2017-18		2021-22	
		व्यय	कुल व्यय की प्रतिशतता	व्यय	कुल व्यय की प्रतिशतता
व्यय					
पूंजीगत					
1	जल क्षेत्र	883.88	21.50	1,243.80	21.50
2	सीवरेज एवं स्वच्छता	645.46	15.70	1,441.21	24.91
राजस्व					
3	कर्मचारियों को भुगतान	1,669.38	40.60	1,888.41	32.63
4	पावर	604.18	14.70	694.66	12.00
5	अन्य व्यय	308.51	7.50	518.48	8.96
कुल व्यय		4,111.41	100	5,786.56	100
कुल प्राप्तियां					
1	डीजेबी का राजस्व	2,236.19	55.87	2,805.33	58.79
2	सहायता अनुदान और रा.रा.क्षे.दि.स. एवं भारत सरकार से ऋण	1,766.37	44.13	1,966.77	41.21
कुल राजस्व		4,002.56	100	4,772.10	100

समीक्षाधीन अवधि के दौरान डीजेबी की वार्षिक प्राप्तियां और व्यय के बीच अंतर लगभग 10 गुना बढ़ गया है। इस अंतर को बयाना राशि, रोकी गई प्रतिभूति जमा और पूंजीगत निधियों के अव्ययित शेष से पूरा किया जा रहा है। कर्मचारियों का वेतन डीजेबी के व्यय का सबसे बड़ा घटक है।

1.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित का आकलन करना था:

1. क्या डीजेबी द्वारा दिल्ली के सभी निवासियों को निरंतर एवं विश्वसनीय जल आपूर्ति सुनिश्चित की गई?

2. क्या दिल्ली के सभी स्थानों में सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध थीं और क्या जलाशयों में अशोधित सीवेज के निपटान को कम करने के लिए सीवेज का शोधन और निपटान कुशलतापूर्वक किया जाता था?
3. क्या डीजेबी ने अपने संसाधनों का प्रबंधन कुशल एवं प्रभावी तरीके से किया है?

1.5 लेखापरीक्षा के मानदंड

डीजेबी के कामकाज का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया गया:

- भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के विभिन्न आदेश/निर्णय।
- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सीपीएचईईओ नियमावली;
- दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 और दिल्ली जल बोर्ड सेप्टेज प्रबंधन विनियम, 2018;
- दिल्ली जल एवं सीवर (टैरिफ एवं मीटरिंग) विनियम, 2012;
- दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और यमुना प्रदूषण निगरानी समिति (वाईपीएमसी) के मानक और विभिन्न रिपोर्टें;
- नदी पुनरुद्धार समिति (आरआरसी) की कार्य योजना, दिल्ली-2031 के लिए सीवरेज मास्टर प्लान (एसएमपी), रा.रा.क्षे. दिल्ली के लिए ड्रेनेज मास्टर प्लान (डीएमपी), एसटीपी से शोधित अपशिष्ट जल के उपयोग के लिए कार्य योजना;
- जीएफआर-2017, प्राप्ति एवं भुगतान नियम, सामान्य लेखा नियम, कें.लो.नि.वि. नियमावली, संविदाओं की सामान्य शर्तें और कें.स.आ. के दिशानिर्देश।
- राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की (एनआईएच) की शोध एवं अध्ययन रिपोर्टें एवं अन्य रिपोर्टें।

1.6 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

डीजेबी के कामकाज पर वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 तक की गई थी, जिसमें 2017-18 से 2021-22 तक पांच वर्ष की अवधि शामिल है। डीजेबी मुख्यालय में उपलब्ध अभिलेखों की संवीक्षा और जानकारी के विश्लेषण के अतिरिक्त, डब्ल्यूटीपी/एसटीपी के कामकाज की जांच करने, विभिन्न नालों की ट्रेपिंग स्थिति का आकलन करने और विभिन्न सीवरेज और जल परियोजनाओं की भौतिक प्रगति का सत्यापन करने के लिए क्षेत्र-दौरे/संयुक्त निरीक्षण भी किए गए।

जल आपूर्ति अवसंरचना के नमूना चयन के लिए, डब्ल्यूटीपी को उनकी शोधन क्षमता के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया था, जिनकी क्षमता 150 एमजीडी और उससे अधिक, 70 से 150 एमजीडी के बीच और 70 एमजीडी से कम थी और प्रत्येक श्रेणी से एक डब्ल्यूटीपी को विस्तृत जांच के लिए चुना गया था (हैदरपुर, सोनिया विहार और द्वारका डब्ल्यूटीपी)। चयनित नमूने में डीजेबी की शोधन क्षमता का 50 प्रतिशत कवर शामिल था। इसके अतिरिक्त, चयनित ई एंड एम प्रभागों, जो चयनित तीन डब्ल्यूटीपी के अनुप्रवाह में भूमिगत जलाशयों (यूजीआर), पाइपलाइनों और पंपिंग स्टेशनों के अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार थे, के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान संवीक्षा की गई।

इसी प्रकार, सीवरेज अवसंरचना के लिए, 100 एमजीडी से अधिक सीवेज उत्पादन वाले सभी तीन ड्रेनेज क्षेत्र (शाहदरा, ओखला और रोहिणी-रिठाला), 50 से 100 एमजीडी तक सीवेज उत्पादन वाले पांच में से तीन ड्रेनेज क्षेत्र (कोरोनेशन पिलर, नजफगढ़ और कंझावला-बवाना) और 50 एमजीडी से कम सीवेज उत्पादन वाले चार में से एक ड्रेनेज क्षेत्र (बाहरी दक्षिण दिल्ली) को विस्तृत संवीक्षा के लिए निर्णयात्मक नमूना-चयन के माध्यम से चुना गया। चयनित ड्रेनेज क्षेत्रों और डीजेबी प्रयोगशालाओं में सीवरेज नेटवर्क बिछाने और अनुरक्षण से संबंधित कार्यों की भी संवीक्षा की गई।

डीजेबी का राजस्व स्कंध सात परिमंडलों के अंतर्गत क्षेत्रीय राजस्व कार्यालयों (जेडआरओ) के माध्यम से जल/सीवर शुल्क के बिलिंग और संग्रहण का प्रबंधन करता है। निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए, प्रत्येक परिमंडल से वित्त वर्ष

2021-22 में न्यूनतम और अधिकतम वसूली दर वाले ज़ेडआरओ का चयन³ किया गया।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली, कार्यक्षेत्र, उद्देश्यों और मानदंडों पर चर्चा करने के लिए डीजेबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ अगस्त 2022 में एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करने के लिए सरकार को निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का मसौदा जारी किया गया (27 जुलाई 2023)। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए 7 दिसंबर 2023 को हितधारकों के साथ एक निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया। डीजेबी से प्राप्त उत्तर और निर्गम सम्मेलन में अभिव्यक्त विचारों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। तथापि, विभाग/सरकार से उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2025)।

1.7 प्रतिवेदन की संरचना

निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को लेखापरीक्षा उद्देश्यों के अनुरूप व्यवस्थित किया गया है तथा उन पर निम्नलिखित अध्यायों में चर्चा की गई है।

अध्याय 2: कच्चे जल की व्यवस्था और शोधन

अध्याय 3: जल आपूर्ति और वितरण प्रणाली

अध्याय 4: सीवरेज प्रबंधन

अध्याय 5: डीजेबी द्वारा परियोजना/कार्य निष्पादन

अध्याय 6: वित्तीय प्रबंधन

अध्याय 7: मानव संसाधन प्रबंधन

³ चयनित 14 क्षेत्रीय राजस्व कार्यालय (ज़ेडआरओ) अशोक विहार, बुराड़ी, जीटीबी एन्क्लेव, काकरोला मोर, लाजपत नगर, एमवीवी आरके पुरम, एनडब्ल्यूएस भेरा एन्क्लेव, पंजाबी बाग, प्रताप नगर, रोहिणी, राजेंद्र नगर, साकेत, न्यू सीलम पुर और वसंत कुंज हैं।